आवेदन पत्र स. 03/2015
अमरसिह बनाम प्रेमसिंह वगै.
निर्णय दिनांक ..28-02-2020

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- बंशीधर योगी , R.T.S.

राजस्व आवेदन स. 03 /2015

1. अमरसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नूहनीयां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

- ब ना म -

1. प्रेमसिंह उर्फ प्रतापसिंह पुत्र बागसिह उम्र 45 वर्ष
2. अमरसिह पुत्र बागसिंह उम्र 50 वर्ष
3. राजेन्द्र सिह पुत्र छाजूसिह उम्र 30 वर्ष

जातिगण राजपूत निवासी नूहनीयां तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)

आवेदन पत्र - अन्तर्गत धारा 183 बी.राज.कास्त.अधि.

उपस्थिति -

1. श्री नरपाल सिंह यादव , अधिवक्ता - आवेदक की ओर से ।
2. श्री राजेश कुमार यादव अप्रार्थी सं. 2,3 की ओर से। एवं शेष अप्रार्थी के विरूद एकपक्षीय

:: निर्णय :: दिनांक - 28-02-2020

आवेदक ने यह आवेदन पत्र इस प्रकार पेश किया कि वह गांव नूहनियां का निवासी है एवं जाति से मेघवाल अनुसूचित जाति का है जिसकी खातेदारी की कृषि भूमि ख.न. 366/219/4 रकबा 0.11 है. स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है जिसके कुछ हिस्से पर मकान बना रखे है एवं रास्ता है करीब 800 वर्गमीटर भूखण्ड खाली है अप्रार्थीगण राजपूत जाति के राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है दिनांक 24.12.2015 को रातो रात खाली पड़ी भूमि में निर्माण कर जबरन से बन्दूक की नोक पर निर्माण कर लिया मना किया तो गोली मारने की धमकी दी एवं अतिक्रमण कर लिया जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही था इसलिये उनका अतिक्रमण गैरकानूनी है प्रार्थी ने यह भूमि दिनांक 04.12.2015 को धर्मपालसिंह राजपूत निवासी नूहनियां से खरीद की है जिसका इन्तकाल भी 21.12.2015 को दर्ज हो चुका है प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण बने रहने से उसे अपूर्तनीय क्षति है। अन्त मे अप्रार्थीगण का कच्चा या पक्का निर्माण एवं कब्जा हटाये जाने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का निवेदन किया एवं परिवाद भी धारा 183 सी. राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज करवाने का निवेदन किया ।

तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र स. 03/2015
अमरसिंह बनाम प्रेमसिंह वगै.
निर्णय दिनांक 28-02-2020

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अनावेदकगण को नोटिस जारी किये गये अनावेदक सं. 2 व 3 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों का खण्डन किया एवं कथन किया कि आवेदक ने इस भूमि को रास्ता बताकर एक दावा मु.नं. 60/2015 एवं दरखास्त अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 73/2015 बउनवानी अमरसिंह वगै. बनाम प्रेमसिह वगै. के रूप में पेश किया था जिसमें दखास्त अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय भी हो चुका है जिसमे स्वयं आवेदक ने इस भूमि को आबादी भूमि बताई है सिविल न्यायालय में दावा पहले किया गया है एवं विक्रय पत्र उसके बाद दिनांक 04.12.2015 को करवाया गया है मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई गई थी उसकी नकल भी पेश की तथा यह भी निवेदन किया कि इसमे निर्माण आवेदक द्वारा विक्रय पत्र पंजिकृत करवाये जाने से पहले का ही मौजूद है तो विक्रय पत्र के बाद का कोई निर्माण या कब्जा नही है तथा अन्त में आवेदन पत्र खारीज करने का निवेदन किया ।

आवेदन पत्र के जवाब के समर्थन में सिविल न्यायालय की आदेशिकाएं वाद पत्र एवं जवाब दावा की नकल दरखस्त अस्थाई निषेधाज्ञा की एवं जवाब की नकल तथा आवेदन पत्र के निर्णय की नकल कमिश्नर की मौका रिपोर्ट की नकल मय नक्शा एवं फोटो ग्राफ तथा निर्णय दिनांक 19.05.2018 एवं डिक्री की नकल पेश की।

दोनों पक्षों की सुनवाइ के पश्चात मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें पटवारी हल्का ने मौके पर सघन आवादी होना वताया एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके पश्चात गिरदावर हल्का के नेतृत्व में 5 सदस्य टीम का गठन कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होने भी मौका पर आवादी वसी होना कथन करते हुये किसका कितना व क्या निर्माण है यह बताया जाना संभव नही होना वताया एवं फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सघन आवादी वसी हुई है एवं पुख्ता निर्माण है स्वयं आवेदक ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में इस भूमि को आवादी भूमि होना कथन किया है मौका कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में मौके पर आवादी होने की रिपोर्ट पेश की है इस प्रकार यह भूमि मौके पर कृषि योग्य नही है एवं आवादी वसने से सघन आवादी में बदल चुकी है एवं कृषि योग्य नही है आवेदक द्वारा जो विक्रय पत्र पंजिकृत करवाया गया है उससे पहले ही इस भूमि में निर्माण मौजूद था एवं जिस भाग पर निर्माण था उस पर कब्जा प्रार्थी ने कभी प्राप्त ही नही किया है तथा यह भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है आवादी के पास होने से इसमें खातेदारों ने निर्माण कर लिया एवं बेचान कर दिया तो क्रेताओं ने भी इसमें निर्माण कर मकान बना लिये है आवेदक ने भी जो भूमि खरीदी उसमे निर्माण कर आवाद हुआ है उसमें से उसने जो मकान बनाये व रास्ता रखा उसके अलावा शेष भाग पर उसका कब्जा नही था स्वयं आवेदक ने एक जनप्रतिनिधि वाद पेश किया उसमें इस भूमि को आवादी भूमि होना वताई है जो समस्त मौका रिपोर्ट से भी सावित है कि मौके पर यह भूमि कृषि भूमि नही है तथा जिन लोगों का इस भूमि पर कब्जा है उनका कब्जा भी आवेदक के खरीदने से पहले इसके मूल खातेदारों के समय से ही है मौका रिपोर्ट दिनांक 05.

तहसीलदार चूहाना
जिला ... (...)

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र स. 03/2015
अमरसिंह बनाम प्रेमसिंह वगै.
निर्णय दिनांक 28.02.2020

12.2019 के अनुसार भूमि ख.न. 366/219 का रकबा 0.20 है. गे रो चंहम 3 वा 3आवेदक के नाम हुई 0.11 है. रकबा का अलग से कोई ख.न. कायम नही किया गया है ऐसी स्थिति में जब ख.न. 366/219 का सम्पूर्ण रकबा ही एक है मौके पर सीमाकंन एवं मापन नही है तो यह नही कहा जा सकता है कि आवेदक के नाम से दर्ज भूमि या आवेदक के नाम होने से पहले किन-किन लोगों का कब्जा चला आ रहा है तथा जब यह ख.नं. संयुक्त है तो प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा होने से उनको संयुक्त खातेदारी की भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है इस प्रकार आवेदक ना तो यह साबित कर पाया कि उसके नाम से दर्ज ख.न. एवं रकबा पर किन-किन लोगों का कब्जा है ना ही यह साबित कर पाया कि उसके द्वारा स्वर्ण जाति के खातेदार से अपने हक में करवाये गये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2015 के बाद किसी ने कोई कब्जा या निर्माण किया है साथ ही स्वयं आवेदक ने एक जनप्रतिनिधि वाद सक्षम सिविल न्यायालय में पेश किया था वह भी खारीज हो चुका है जब नियमित वाद खारीज हो चुका है तो यह विविध प्रार्थना पत्र भी पोषणीय नही है इसलिये आवेदक का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

- :: आदेश ::-

अतः आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी. राजस्थान कारतकारी अधिनियम खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(वंशीधर योगी)
तहसीलदार मुहाना
(जयपुर राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(वंशीधर योगी)
तहसीलदार मुहाना
(जयपुर राज.)

Scanned with CamScanner